आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरलइ लेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD

(भारत सरकार का उद्यम/**A Government of IndiaEnterprise)**

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार-आचार और नैतिकता संहिता

<u>रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड</u>

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार-आचार और नैतिकता संहिता

1. परिचय

1.1 इस आचार संहिता ("इस संहिता") का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड) (जिसे इसमें इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) के "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता" है।

1.2 यह संहिता कारपोरेशन के कार्यों में नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रिया की वृद्धि पर बल देने और कंपनी के मिशन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कारपोरेशन द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप है।

1.3 इस संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले कारपोरेशन, इसके हितधारकों और कारोबार भागीदारों के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, ये इसलिए भी आवश्यक हैं कि कारपोरेशन के बताए गए मूल्यों के अनुसार इसका व्यापार संचालित किया जा सके।

1.4 निदेशक मंडल के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए यह संहिता स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 के प्रावधानों के अनुपालन, जहां कंपनी के शेयर व्यापार के लिए सूचीबद्ध हैं, एवं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से तैयार की गई है।

1.5 इस समय इस कंपनी की अपनी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली ("सीडीए नियमावली") है। यह नियमावली कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू है, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक भी शामिल हैं, परंतु गैर-पूर्णकालिक निदेशक तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन स्थायी आदेशों द्वारा शासित कर्मचारी शामिल नहीं हैं। पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और बोर्ड स्तर के नीचे के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए इस संहिता को आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के साथ पढ़ा जाए।

1.6 यह संहिता 28 मई, 2015 (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख) से लागू होगी।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

2.1 "निदेशक मंडल के सदस्यों" शब्दावली से तात्पर्य है कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक।

2.2 "पूर्णकालिक निदेशकों" या "प्रकार्यात्मक निदेशकों" शब्दावली का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे निदेशकों से है जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में हैं।

2.3 "अंशकालिक निदेशकों" शब्दावली से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे निदेशकों से है जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं और इनमें स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामिती निदेशक शामिल हैं।

2.4 "स्वतंत्र निदेशकों" शब्दावली से तात्पर्य स्वतंत्र निदेशकों से है जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 2(47) और 149(6) तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार की धारा 49(ii)(बी) में वर्णित है जहां कंपनी के शेयर व्यापार के लिए सूचीबद्ध हैं, जो समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं |

2.5 "प्रमुख मैनेजर स्तर के कार्मिकों (केएमपी)" शब्द से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1913 के भाग 2(51) में दी गई परिभाषा है ।

2.6"संबंधी" शब्द से तात्पर्य ऐसे संबंधियों से है जिनकी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 1913 के भाग 2(77) और कंपनी (निर्वचन विवरण का विनिर्देश) नियम 2014 के नियम 4 में दी गई है **(परिशिष्ट 1** देखें)।

2.7"वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग" शब्द से तात्पर्य निदेशक मंडल के सदस्यों से भिन्न प्रबंधक वर्ग से है और इसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक और कंपनी के अन्य विभागाध्यक्ष शामिल हैं।

2.8 "कंपनी" शब्द से तात्पर्य रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से है।

टिप्पणी इस संहिता में पुल्लिंग शब्दों से स्त्राळलिंग या बहुवचन शब्दों से एकवचन शब्दों का अर्थ भी ग्रहण किया जाए।

3. प्रयोज्यता (Applicability)

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगी:

(क) सभी पूर्णकालिक निदेशक जिनमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।

(ख) सभी अंशकालिक निदेशक (जिनमें स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामिती निदेशक शामिल हैं) बशर्ते कि उन्हें इस संहिता के कुछ प्रावधानों से विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

(ग) प्रमुख मैनेजर स्तर के कार्मिक (केएमपी)

(घ) कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग

4. मुख्य आवश्यकताएं

किसी भी कामकाज के लिए नैतिकतापूर्ण कारोबारी आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तदनुसार, कारपोरेशन के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संहिता को पढ़ें, समझें और अपने दैनिक क्रियाकलापों में इन मानकों का पालन करें। वे कारपोरेशन के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्य करें और निम्नलिखित बातों का पालन करें :

(i) वे सभी कार्यों और व्यवहारों में उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए, इष्टतम सावधानी, कौशल और कर्मठता के साथ निष्पक्ष, युक्तिसंगत और सदाशयता से कार्य करेंगे।

(ii) वे व्यावसायिक, शिष्ट और सम्मानजनक तरीके से कार्य करेंगे और अपने कार्यालयी पद का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे।

(iii) वे उस देश के लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, रीतियों और परंपराओं के अंतर्गत सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे, जिसमें कंपनी कार्य कर रही हो।

(iv) वे नैतिकतापूर्ण तरीकों से धोखाधड़ी या कपट के बिना और स्वीकृत व्यावसायिक मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। वे अपनी निर्णय स्वायत्तता पर आंच आए दिए बिना अपने न्यासी कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

(v) नैतिकतापूर्ण आचरण में व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में वास्तविक या प्रत्यक्ष हित टकराव को नैतिक रूप से संभालना शामिल है।

(vi) कंपनी की संप्रेषण और अन्य नीतियों का पालन करना।

(vii) वे सदाशयता, जिम्मेदारी, उचित सावधानी, क्षमता और परिश्रम से कार्य करेंगे और अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता को प्रभावित नहीं होने देंगे ।

(viii) वे कंपनी के हित में और कंपनी के न्यासी दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।

(ix) वे ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिकता और सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे।

(x) वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति या हैसियत का उपयोग नहीं करेंगे।

(xi) वे निदेशक, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के रूप में उन्हें प्राप्त सूचना या अवसर का उपयोग इस प्रकार नहीं करेंगे कि उससे कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचे।

(xii) वे कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।

(xiii) वे ऐसे मामले पर निर्णय लेने में लिप्त नहीं होंगे जिससे हितों का टकराव हो या उसकी राय में प्रकट होने की संभावना हो।

(xiv) वे निदेशक मंडल को ऐसी बातों का प्रकटन करेंगे जो ऐसी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देनों, यदि कोई हों, से संबंधित हो जिनमें उनका ऐसा व्यक्तिगत हित हो जिससे कारपोरेशन में बड़े स्तर पर हितों के टकराव की संभावना हो।

(xv) वे ऐसे किसी मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे या अन्यथा निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे, जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता हो और जिसमें उनका विरोध हो सकता है या हितों के टकराव की संभावना हो।

(xvi) आडिट कमेटी और/या बोर्ड के अनुमोदन और जहां जरूरी होगा आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन के बिना परिशिष्ठ-ii में दिए गए के अनुसार पार्टी लेन-देन संबंधी कोई समझौता या अनुबंध नहीं करेंगे |

(xvii) वे किसी ऐसे ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से संव्यवहार नहीं करेंगे, जो व्यावसायिक, निष्पक्ष और प्रतियोगी आधार पर व्यापार करने या निदेशक मंडल के सदस्यों/कारपोरेशन के विवेकाधिकार को प्रभावित कर सकता हो।

(xviii) वे निगम से संबंधित व्यावसायिक संव्यवहार में कोई व्यक्तिगत और/या वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करेंगे।

(xix) वे ऐसा पद या कार्य ग्रहण नहीं करेंगे या किसी ऐसे बाह्य व्यापार या अन्यथा हित में शामिल नहीं होंगे जिससे निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(xx) वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे अवसरों को भुनाने का प्रयास नहीं करेंगे जो निगम की संपत्ति, सूचना या हैसियत के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए हों सिवाय इसके कि ऐसे अवसरों के बारे में निगम के निदेशक मंडल को पूर्ण जानकारी लिख कर दे दी गई हो, परंतु निदेशक मंडल ऐसे अवसर का लाभ न उठाना चाहता हो और उसे इस अवसर का लाभ उठाने की अनुमति दे दे।

(xxi) वे ग्राहकों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं आदि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई ऐसा प्रस्ताव, भुगतान, देयता का वायदा या किसी प्रकार की राशि दान या कोई मूल्यवान वस्तु न तो मांगेगे और न ही प्राप्त करेंगे जिसे किसी कारोबार संबंधी निर्णय, किसी कार्य को करने या न करने, किसी प्रकार की धोखाधड़ी के वायदे या किसी प्रकार की धोखाधड़ी के वायदे के लिए मिलने वाले मौके के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई माना जाए।

(xxii) वे ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देंगे,जिसमें सरकार या कारपोरेशन की किसी नीति या कार्य की आलोचना की गई हो या जिससे कारपोरेशन और जनता, जिसमें सभी हितधारक शामिल हैं, के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो।

परंतु इस खंड में उल्लिखित कोई भी शर्त निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्यों या अभिव्यक्त विचारों पर लागू नहीं होगी जो सर्वथा तथ्यात्मक प्रकृति की हों या जो उनके द्वारा उनकी पदीय हैसियत से या उन्हें सौंपी गई ड्यूटी के सम्यक निष्पादन के दौरान व्यक्त किया गया हो ।

(xxiii) वे कोई नैतिक अधमता वाला अपराध नहीं करेंगे।

(xxiv) वे अपनी सेवा के दौरान प्राप्त कंपनी के कार्यों से संबंधित सूचना की गोपनीयता का सम्मान करेंगे बशर्ते कि उन्हें ऐसी सूचना के प्रकटन के लिए प्राधिकृत किया गया हो या कानूनी तौर पर उन्हें ऐसा करना पड़े।

(xxv) वे सेवा के दौरान प्राप्त गोपनीय सूचना का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य प्रतिष्ठान के लाभ के लिए नहीं करेंगे।

(xxvi) वे उच्च नैतिकतापूर्ण मानदंडों और प्रतिबद्धता की संस्कृति तैयार करने और उसे बनाए रखने में मदद करेंगे और उसका अनुपालन करेंगे।

(xxvii) यदि किसी सदस्य के पास कोई ऐसी सूचना हो जो कंपनी के निर्णय लेने से संबंधित हो या अन्यथा आलोचनात्मक हो तो उसे समुचित तरीके और ठीक समय पर निदेशक मंडल को सूचित करेंगे।

(xxviii) कंपनी से जुड़े निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों/केएमपी/वरिष्ठ प्रबन्धक वर्ग और अन्य कार्मिकों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण, निष्पक्ष और शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे।

4.2 निदेशकों के कर्तव्यः

कंपनी के निदेशकः

- **i.** समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, **2013** के उपबंधों के आधार पर कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार कार्य करेंगे;
- **ii.** कंपनी के उद्देश्य को प्रोन्नत करने के लिए पूर्ण रूप से इसके सदस्यों के हितलाभ, तथा कंपनी, इसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के श्रेष्ठ हित में और पर्यावरण के संरक्षण हेतु सद्भाव से कार्य करेंगे;
- **iii.** अपने कर्तव्यों का निष्पादन सम्यक एवं उचित देखभाल, कुशलता और तत्परता से करेंगे तथा स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रयोग करेंगे;
- **iv.** ऐसी किसी परिस्थिति में शामिल नहीं होंगे जिसमें उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूचि है, जो कंपनी के हित के विरुद्ध है या संभवतः विरुद्ध हो सकती है;
- **v.** अपने पद का अपने लिए, अपने संबंधियों, साझेदारों, या सहयोगियों के लिए कोई अनुचित लाभ या फायदा नहीं उठायेंगे और यदि कोई निदेशक ऐसा अनुचित लाभ लेने का दोषी पाया जाता है तो , वह कंपनी को मिलने वाले उक्त लाभ के बराबर की राशि का भुगतान करने का भागी होगा;
- **vi.** अपने पद का कार्य समनुदेशित नहीं करेंगे और इस प्रकार किया गया कोई समनुदेशन अमान्य होगा;

4.3 स्वतंत्र निदेशकों के विशेष कर्तव्यः

स्वतंत्र निदेशक-

1) अपने कौशल, ज्ञान और कंपनी के साथ सुपरिचायन को नियमित रूप से अद्यतन एवं पुनश्चर्या करने और उपयुक्त प्रेरण करने का कार्य करेंगे;

2) उपयुक्त स्पष्टीकरण लेंगे या जानकारी का प्रवर्धन करेंगे तथा, जहां आवश्यक हे, कंपनी के खर्च पर बाहरी विशेषज्ञों की उपयुक्त व्यावसायिक सलाह एवं राय लेंगे और उसका अनुसरण करेंगे;

3) निदेशक मंडल की सभी बैठकों तथा बोर्ड की समिति, जिनमें वे एक सदस्य हैं, में भाग लेने का प्रयास करेंगे;

4) बोर्ड की समिति, जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं, में रचनात्मक एवं सक्रिय रूप से भाग लेंगे;

5) कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे;

6) जहां कहीं कंपनी के संचालन या किसी प्रस्तावित कार्य से संबंधित मामले हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका निवारण बोर्ड की बैठक में किया जाए और, किसी सीमा तक उनका समाधान नहीं होता है तो, वे कोशिश करें कि उनके मामले बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए हैं;

7) कंपनी और इसके संचालन में बाहरी परिवेश के संबंध में स्वयं को सुपरिचित रखेंगे;

8) अन्य प्रकार से उपयुक्त बोर्ड या बोर्ड की समिति की कार्यप्रणाली को अनुचित रूप से बाधित नहीं करेंगे;

9) पार्टी के संबंधित लेन-देन के अनुमोदन से पूर्व पर्याप्त ध्यान देंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया है और स्वयं आश्वस्त होंगे कि यह कंपनी के हित में है;

10) यह पता लगायेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी में पर्याप्त एवं प्रकार्यात्मक निगरानी तंत्र है तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि एक व्यक्ति जो ऐसे तंत्र का उपयोग कर रहा है, के हित ऐसे तंत्र के उपयोग से हानिकर रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं;

11) कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा उल्लंघन से संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट देंगे;

12) अपने अधिकार के अंतर्गत कार्य करेंगे, कंपनी, शेयरधारक और इसके कर्मचारियों के वैध हितों का संरक्षण करने में सहायता देंगे;

13) वाणिज्यिक गुप्त तथ्यों, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री उन्नयन योजनाओं, अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी सहित किसी भी गोपनीय सूचना का प्रकटन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ऐसे प्रकटन को बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न किया गया हो या वह विधि द्वारा अपेक्षित न हो ।

5. संहिता की विषय-वस्तु

भाग I - सामान्य नैतिक अनिवार्यता

भाग II - विशेष व्यावसायिक दायित्व

भाग III - निदेशक मंडल के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए विशेष अतिरिक्त प्रावधान

इस संहिता का उद्देश्य व्यावसायिक कार्य करने में नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक, नैतिकतापूर्ण मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायतों के गुण-दोषों के संबंध में निर्णय लेने के लिए आधार तैयार करना भी है।

यह देखा गया है किसी भी नैतिकता की संहिता और आचरण दस्तावेज में प्रयुक्त कुछ शब्दों और पदों का निर्वचन उनकी अलग-अलग व्याख्याओं पर निर्भर करता है। इस संहिता के संबंध में यदि कोई टकराव होता है तो निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

भाग I

सामान्य नैतिक अनिवार्यता

1. समाज और मानव कल्याण के लिए योगदान

1.1 यह सिद्धांत सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है, मूल मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति दायित्वों की पुष्टि करता है और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों से पैदा होने वाले उत्पादों का सामाजिक दायित्वपूर्ण तरीकों से उपयोग किया जाएगा, इससे समाज की आवश्यकताएं पूरी होंगी और इससे अन्य लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अलावा, मानव कल्याण में सुरक्षित नैसर्गिक पर्यावरण भी शामिल है।

1.2 अतः, निदेशक मंडल के सभी सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग, जो कंपनी के उत्पादों का डिजाइन, विकास, विनिर्माण और प्रोन्नति के लिए जिम्मेदार हैं, मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव के लिए कानूनी और नैतिक दायित्व दोनों के प्रति सतर्क रहेंगे और अन्य लोगों को जागरूक करेंगे।

2. ईमानदार और विश्वसनीय बनें और सत्यनिष्ठा का पालन करें

2.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी भरोसे के आवश्यक अंग हैं। भरोसे के बिना कोई संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है।

2.2 निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि लोक उद्यम का काम काज करते समय वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकतापूर्ण आचरण के सर्वोच्च मानकों के अनुसार कार्य करेंगें।

3. निष्पक्ष रहें और भेदभाव न करें

समानता, सहनशीलता, दूसरों के सम्मान के मूल्यों और समान और न्यायपूर्ण सिद्धांतों से यह बात आती है। वंश, लिंग, धर्म, उम्र, निःशक्तता, राष्ट्रीय मूल या ऐसे अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव करना इस संहिता का उल्लंघन है।

4. गोपनीयता का सम्मान करें

4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मुद्दों तक व्यापक होता है। इसका नैतिकतापूर्ण संबंध सभी हितधारकों की गोपनीयता के दायित्वों का सम्मान करना है सिवाय इसके कि कानून या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों के अनुसार ऐसे दायित्वों के निर्वाह से छूट दे दी गई हो।

4.2 अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग कंपनी के व्यापार और कार्यों के बारे में अप्रकाशित सूचना की पूरी गोपनीयता बनाए रखें।

5. शपथ और व्यवहार

5.1 क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता लाने का सतत प्रयास करें।

5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सतत प्रयास करें।

5.3 कंपनी की समृद्धि और प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें और कार्य करें।

5.4 संगठन को गरिमा प्रदान करें और कंपनी के हितधारकों को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करें।

5.5 अपने कर्तव्यों का सावधानी से और बिना किसी भय या पक्षपात के पालन करें।

भाग II

विशेष व्यावसायिक दायित्व

1. प्रति दिन आरईसी के दृष्टिकोण, मिशन और मूल्यों के प्रति जीवंतता बनाए रखें

प्रति दिन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के दृष्टिकोण, मिशन और मूल्यों के प्रति जीवंतता बनाए रखें, जो इस प्रकार हैं:

मिशन और दृष्टिकोण

- ग्रामीण और शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता की समृद्धि और संपन्नता को बढ़ावा देने के लिए बिजली की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।

- देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले वित्तीय और प्रोन्नति संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रतियोगी ग्राहक-हितैषी और विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना।

मूल्य

- आगे बढ़ने का उत्साह और परिवर्तन के लिए अभिरुचि
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
- प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और संभावित क्षमता के प्रति आदर भाव
- प्रतिबद्धता का सख्ती से अनुपालन
- उत्तर की गति सुनिश्चित करना
- शिक्षण, सृजनात्मकता और टीम वर्क को बढ़ावा देना
- आरईसी के प्रति निष्ठा और गौरव
-

2. व्यावसायिक कार्य की प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में उच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना

संभवतः उत्कृष्टता, किसी भी व्यावसायिक का अति महत्वपूर्ण दायित्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने व्यावसायिक कार्य में उच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

3. व्यावसायिक सक्षमता की प्राप्ति और उसे बनाए रखना

उत्कृष्टता ऐसे कार्मिकों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक सक्षमता को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे क्षमता के समुचित स्तर के मानक तय करने में अपना योगदान दें और उन मानकों को प्राप्त करने का सतत प्रयास करें।

4. कानूनों का अनुपालन

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग विद्यमान, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। वे कंपनी की कारोबार संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का अनुसरण करेंगे और उनका पालन भी करेंगे।

निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल की बैठकों, कार्यसूची, तिमाही रिपोर्टों, परिचालन द्वारा संकल्प आदि से संबंधित बोर्ड की प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे |

वे निगम पर लागू सरकारी नीतियों और समय-समय पर उनमें किए गए परिवर्तनों का भी अनुपालन करेंगे।

5. समुचित व्यावसायिक समीक्षा स्वीकार करना और उपलब्ध कराना

गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कार्य व्यावसायिक समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब कभी उचित हो, सभी सदस्य अपने सहयोगियों की समीक्षा मांगेंगे और उसका उपयोग करेंगे तथा उनके कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा भी उपलब्ध कराएंगे।

6. कार्यशील जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्मिकों और संसाधनों की व्यवस्था करना

संगठनात्मक नेतृत्व करने वाले लोगों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य और कारोबार का वातावरण तैयार करें ताकि वे अपना कार्य सर्वोत्तम तरीके से कर सकें। निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग सभी कर्मचारियों की मानवीय प्रतिष्ठा सुनिश्चित

करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग देकर उनके व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और उसे सहयोग देंगे, इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकेगी।

7. ईमानदार बनें और लालच न करें

निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और प्रबंधक वर्ग अपने परिवार के सदस्यों और अन्य संबद्ध लोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे, जो कंपनी के संव्यवहार से उत्पन्न होता हो। इसमें कीमती उपहार या अन्य लाभ भी शामिल हैं, जो संगठन या किसी एजेंसी आदि को संविदा देने के लिए कारोबार को प्रभावित करने हेतु समय-समय पर दिया जा सकता है।

8. कारपोरेट अनुशासन का पालन

कंपनी के अंतर्गत संप्रेषण निर्बाध गति से किया जाता है और कार्मिक सभी स्तरों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समय वे विचारों का आदान-प्रदान करने में भी स्वतंत्र हैं, लेकिन जब चर्चा समाप्त हो जाती है और आम सहमति से कोई नीति तय कर दी जाती है तो सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका सख्ती से पालन और कार्यान्वयन करें, भले ही किसी मामले में कोई व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत हो या नहीं। कुछ मामलों में नीतियां कार्य करने के लिए दिशानिर्देश का कार्य करती हैं और कुछ मामलों में उनका निर्माण कुछ इस प्रकार के काम रोकने के लिए किया जाता है। सभी को चाहिए कि वे इस अंतर को समझें और इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें इसका पालन करना क्यों जरूरी है।

9. ऐसा आचरण करें जिससे कंपनी में विश्वास परिलक्षित हो

सभी कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद इस प्रकार का आचरण करें जिससे कंपनी की साख परिलक्षित होती हो। उनके व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार का ही समग्र प्रभाव होता है जिससे कंपनी की साख बनती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे संगठन के अंदर और आम जनता में कैसे विचार व्यक्त करते हैं।

10. कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी बनें

जिन लोगों की भी हम सेवा करते हैं, भले ही वे हमारे ग्राहक हैं जिनके बिना कंपनी का कारोबार नहीं चलेगा, शेयरधारक हैं जिनका कंपनी के कारोबार में महत्वपूर्ण हित होता है, कर्मचारी हों, जिनका सभी क्रियाकलापों में निहित स्वार्थ होता है, विक्रेता हों, जो ठीक समय पर सेवा करने में कंपनी को सहयोग देते हैं और समाज हो जिसके प्रति अपने कार्यों के माध्यम से कंपनी उत्तरदायी होती है, वे सभी कंपनी के हितधारक हैं। अतः सभी को हमेशा अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं।

11. इनसाइडर ट्रेडिंग का निवारण

निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग निवारण संहिता का पालन करेंगे।

12. कारोबार संबंधी जोखिमों की पहचान करें, शमन करें और उनका प्रबंधन करें

कंपनी के जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का अनुपालन करना प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी है जिससे ऐसे कारोबार संबंधी जोखिमों को अभिनिर्धारित किया जाता है जो कंपनी के कार्यों या प्रचालन क्षेत्र के आसपास होते हैं और ऐसे जोखिमों का प्रबंधन करने की कंपनी की व्यापक प्रक्रिया में सहयोग देना भी उनकी जिम्मेदारी है ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यापार उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

13. कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा

निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करेंगे, जिसमें भौतिक परिसंपत्तियां, सूचना और कंपनी का बौद्धिक अधिकार भी शामिल है और वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे।

भाग III

निदेशक मंडल के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

1. निदेशक मंडल के सदस्य, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के रूप में-

वे निदेशक मंडल की बैठकों और उन समितियों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जहां उन्हें शामिल किया गया हैं।

2. **निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में-**

2.1 वे कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को अन्य निदेशक मंडलों में उनकी स्थिति में हुए किसी परिवर्तन, अन्य कारोबार के साथ उनके संबंध और ऐसी अन्य घटनाओं/परिस्थितियों/स्थितियों के बारे में सूचित करेंगे जिनके कारण निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की समितियों में उनके काम में अंतर आता हो या जिससे निदेशक मंडल के निर्णय पर ऐसा प्रभाव पड़ सकता हो जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके आधार पर तैयार नियमों की स्वतंत्र अपेक्षाओं से वे संबद्ध होते हों।

2.2 वे इस बात का वचन देंगे कि बोर्ड के रुचि न रखने वाले सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना वे हितों के प्रत्यक्ष टकराव से बचेंगे। हितों का टकराव उस स्थिति में हो सकता है जब उनका कोई ऐसा व्यक्तिगत हित हो जिसके कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है:

संबंधी पक्षकार के साथ लेन देन : कोई ऐसा लेन-देन करना या कंपनी के साथ या उसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना जिसमें उनका वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हितबद्ध हो (भले ही वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में, यथा परिवार के सदस्यों या नातेदारों या अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य संगठन के माध्यम से जिससे वे जुड़े हुए हों)।

दूसरी कंपनी के निदेशक का पदः किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल का निदेशक पद स्वीकार करना जिसकी इस कंपनी के व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा हो।

परामर्शी/कारोबार/नियोजनः किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगना (भले ही वह परामर्शी सेवा देने की प्रकृति का हो, व्यापार करने से संबंधित हो, नियोजन स्वीकार करने से संबंधित हो) जिससे कंपनी के प्रति उनकी ड्यूटी/जिम्मेदारी पर

हस्तक्षेप या टकराव होने की संभावना हो। वे किसी अन्य आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या कंपनी के ग्राहक के पास किसी अन्य तरीके से भी निवेश नहीं करेंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे।

व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोगः वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

3. कारोबार, आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन

3.1 निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग इस संहिता के सिद्धांतों का पालन करेगा और उसे बढ़ावा देगा।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए यह ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वे इस संहिता में व्यक्त सिद्धांतों का पालन करें अपितु इन सभी को इस बात को प्रोत्साहित करना है और उसे सहयोग भी देना है कि अन्य कार्मिकों द्वारा भी इसका पालन किया जाए।

3.2 संगठन के साथ असंगत संबद्धता को इस संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा

आचार संहिता की व्यावसायिकता का पालन व्यापक रूप से और सामान्यतः स्वैच्छिक मामला है। लेकिन यदि निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग का कोई सदस्य इस संहिता का पालन नहीं करता है तो निदेशक मंडल द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को यह अधिकार है कि वह इस संहिता का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई कर सकती है।

4. विविध बिंदु

4.1 निगम की प्रकटन परिपाटी

निगम की प्रकटन परिपाटी संहिता उन रिपोर्टों और दस्तावेजों के यथार्थ, समयबद्ध और सुबोध प्रकटन को विनियमित करती है, जो बाह्य एजेंसियों को प्रस्तुत की जाती हैं या वेबसाइट पर दी जाती हैं या किसी अन्य सार्वजनिक संप्रेषण में व्यक्त की जाती हैं। तदनुसार, निदेशक मंडल के सदस्य/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निगम, वित्तीय सूचना देने के मामले में निगम के प्रकटन नियंत्रण, प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण का पालन करे। कारपोरेशन के निदेशक मंडल के सदस्य/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ऐसी सूचना का प्रकटन करने के लिए स्वतंत्र हैं जो

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों या विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार प्रकट की जानी हों।

4.2 परिसंपत्तियों की रक्षा

निदेशक मंडल के सदस्य/केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करेंगे, जिसमें भौतिक परिसंपत्तियां, सूचना और बौद्धिक अधिकार भी शामिल हैं और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे।

5. संहिता को सतत अद्यतन करना, उसका स्पष्टीकरण देना और उसमें संशोधन करना

क. अद्यतन करनाः इस संहिता की लगातार समीक्षा की जाएगी और कानून में किसी परिवर्तन, कंपनी के दर्शन, दृष्टिकोण, कारोबार योजना या अन्यथा जैसा निदेशक मंडल आवश्यक समझे, में परिवर्तन के अनुसार इसे अद्यतन किया जाएगा और ऐसे सभी संशोधन/आशोधन उसमें व्यक्त तारीख से लागू होंगे।

ख. स्पष्टीकरणः यदि निदेशक मंडल का कोई सदस्य, केएमपी या वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग इस आचार संहिता के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहे, तो वह निदेशक (मानव संसाधन)/कंपनी सचिव/निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से नामित किसी अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

ग. संशोधनः

i. कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर इस संहिता के प्रावधानों में संशोधन/आशोधन किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन/आशोधन उनमें उल्लिखित तारीख से लागू होंगे।

ii. इस संहिता के किसी भी प्रावधान में किए गए किसी संशोधन को कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसे लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालनार्थ कारपोरेशन की वेबसाइट पर तत्काल डाला जाना चाहिए जिसमें संशोधन की प्रकृति के बारे में भी विवरण होना चाहिए।

iii. यह संहिता और इसका कोई संशोधन/आशोधन कारपोरेशन की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध होगी।

6. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

6.1 निदेशक मंडल, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के सभी सदस्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। निगम की वार्षिक रिपोर्ट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा भी दी जाएगी। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रोफार्मा **परिशिष्ट-III** पर दिया गया है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव को अग्रसारित की जाएगी। यदि कोई निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग का कार्मिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय निगम को छोड़ता है तो वह इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी सचिव को पत्र भेजेगा।

6.2 निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निगम के सभी पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक मंडल को इस आशय का प्रमाणपत्र देंगे कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान निगम में कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया गया जो इस संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या जिससे इस संहिता का उल्लंघन होता हो।

7. इस संहिता का पालन न करना

निगम ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और उसका बचाव करेगा जिसने सदाशयता से यह सूचना दी हो कि कानून या इस संहिता या कंपनी की किसी अन्य नीति का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन होने की संभावना है या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सूचना दी हो जो ऐसे उल्लंघन के संबंध में किसी जांच या प्रक्रिया में सहयोग दे रहा हो।

इस संहिता के संबंध में कोई छूट देने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा, भले ही वह निगम के हित में हो।

निदेशक मंडल/केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस संहिता का पालन करे। इस संहिता के अनुपालन के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता शिकायत अधिकारी अर्थात कंपनी सचिव को व्यक्त की जाएगी।

यदि निदेशक मंडल के सदस्यों, केएमपी अथवा वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों द्वारा इस संहिता का कोई उल्लंघन किया जाता है तो निदेशक मंडल द्वारा इस पर आवश्यक समझी जाने वाली समुचित कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाएगा।

8. इस संहिता की पावती

निदेशक मंडल के सभी सदस्य/केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग इस संहिता या इसके किसी संशोधन (संशोधनों) की **परिशिष्ट-IV** में दिए गए पावती पत्र पर पावती देंगे और उसे इस बात का उल्लेख करते हुए कंपनी सचिव को भेजेंगे कि उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, भली भांति समझ लिया है और वे इस संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं।

परिशिष्ट-I

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए आचार-संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 2(77) से उद्धरण

"संबंधी" का अर्थ है-

किसी व्यक्ति को दूसरे का संबंधी तभी माना जाएगा, जबः-

(क) वे एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हों; अथवा

(ख) वे पति और पत्नी हों; अथवा

(ग) उनमें से एक की दूसरे से निम्न प्रकार का रिश्ता हो-

***कंपनी नियम 2014 (निर्वचन विवरण का स्पष्टीकरण) के नियम 4 के अनुसार संबंधियों की सूची**

1. पिता (सौतेले पिता सहित)
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
4. पुत्र की पत्नी
5. पुत्री
6. पुत्री का पति
7. भाई (सौतेले भाई सहित)
8. बहन (सौतेली बहन सहित)

परिशिष्ट-II

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता

कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के अनुसार संबंधित पार्टी की परिभाषाः

किसी कंपनी के संदर्भ में "संबंधित पार्टी " से तात्पर्य है-

(i) एक निदेश या उसके संबंधी;

(ii) एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसके संबंधी;

(iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उसके संबंधी साझेदार है;

(iv) एक निजी कंपनी, जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक अथवा उसके संबंधी एक सदस्य या निदेशक हैं;

(v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक है और उसके अधिकार में उसके संबंधियों सहित कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक है;

(vi) कारपोरेट का कोई निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, किसी निदेशक अथवा प्रबंधक से सलाह, निर्देश या अनुर्देश के अनुसार कार्य करने के आदी हों;

(vii) कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुर्देश पर एक निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हैः

परंतु उप-खंड (vi) और (vii), एक व्यावसायिक क्षमता में दी गयी सलाह, निर्देश या अनुर्देश के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(viii) कोई कंपनी जो कि-

(क) ऐसी कंपनी की एक होल्डिंग, अनुषंगी या एक सहयोगी कंपनी है; अथवा

(ख) एक होल्डिंग कंपनी की एक अनुषंगी कंपनी, जिसमें यह एक अनुषंगी कंपनी भी है;

(ix) अन्य कोई व्यक्ति जिसे अभिनिर्धारित किया जा सकता है;

कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देशन) नियम, 2014 के अनुसार, एक कंपनी के संदर्भ में एक निदेशक या होल्डिंग कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उसके संबंधी को संबंधित पार्टी समझा जाएगा।

सूचीकरण अनुबंध के परिशोधित खंड 49 (VII) के अनुसार संबंधित पार्टी का लेन-देन

क. संबंधित पार्टी का लेन-देन किसी कंपनी और संबंधित पार्टी के बीच प्रभारित मूल्य की परवाह किए बिना, संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं का एक हस्तांतरण है।

"स्पष्टीकरणः एक संबंधित पार्टी के साथ "लेन-देन " का अर्थ किसी संविदा में एकल लेन-देन या लेन-देन के एक समूह को शामिल करने से लगाया जाएगा।"

ख. खंड **49 (VII)** के प्रयोजनार्थ, एक एंटिटी को कंपनी से संबद्ध विचारा जाएगा यदिः

(i) ऐसी एंटिटी, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **2(76)** के अंतर्गत एक संबंधित पार्टी है; अथवा

(ii) ऐसी एंटिटी, लागू लेखाकरण मानकों के अंतर्गत एक संबंधित पार्टी है। "

ग. कंपनी संबंधित पार्टी के लेन-देनों पर तथा संबंधित पार्टी के लेन-देन के साथ व्यवहार करने की तात्विकता पर एक नीति तैयार करेगी।

परंतु यह कि संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन को तात्विक विचारा जाएगा यदि लेन-देनों को व्यक्तिगत रूप से प्रविष्ट किया जाएगा या एक वित्त वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती लेन-देन के साथ एकसाथ लिया जाता है जो कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित टर्न ओवर के दस प्रतिशत से अधिक है।

कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पढ़ते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 का उद्धरण

(1) बोर्ड की किसी बैठक में किसी संकल्प द्वारा दी गयी निदेशक मंडल की सहमति को छोड़कर तथा यथा निर्धारित ऐसी परिस्थितियों के अधीन, कोई कंपनी निम्न के संबंध में किसी संबधित पार्टी के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं करेगी-

(क) किसी वस्तु या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यत्र निपटान करना या खरीदना;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टाकरण;

(घ) किसी प्रकार की सेवाओं का लेना या प्रदान करना;

(च) वस्तु, सामग्री, सेवाएं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति करना;

(छ) ऐसी संबंधित पार्टी की, कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनी या सहयोगी कंपनी में लाभ के किसी स्थान या कार्यालय हेतु नियुक्ति करना;

(ज) कंपनी की किसी प्रकार की प्रतिभूतियें या उसके व्युत्पन्नों के अंशदान की हामीदारी करनाः

परंतु, न्यूनतम ऐसी राशि के साथ प्रदत्त शेयर पूंजी या अधिकतम ऐसी राशि के लेन-देन, यथा निर्धारित, वाली किसी कंपनी के मामले में, एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की पूर्व अनुमति लेने के मामले को छोड़कर, कोई अनुबंध या व्यवस्था प्रविष्ट नहीं की जाएगीः

परंतु यह भी कि कंपनी का कोई सदस्य, कंपनी द्वारा किए जाने वाले किसी अनुबंध या व्यवस्था को अनुमोदित करने के लिए, ऐसे विशेष संकल्प पर वोट नहीं करेगी, यदि ऐसा सदस्य एक संबंधित पार्टी हैः

परंतु यह भी कि इस उप-खंड में अंतर्निहित, कंपनी के सामान्य कारोबार, जो एक-दूसरे के संबंध के आधार पर नहीं किए गए लेन-देन के अन्यत्र हैं, के दौरान किए गए किसी लेन-देन पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-खंड में-

(क) अभिव्यक्ति "कार्यालय या लाभ का स्थान " से तात्पर्य है,कोई कार्यालय या स्थान-

(i) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक के अधिकार में है, यदि निदेशक ने इस पर अधिकार, निदेशक के रूप में हकदारी से अधिक पारिश्रमिक के तौर पर, वेतन, शुल्क, कमीशन, परिलब्धियां, किराया-मुक्त आवास, या अन्यत्र पारिश्रमिक रूप में किसी भी तरह, इसे कंपनी से प्राप्त करने के फलस्वरूप किया है;

(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक के अन्यत्र एक व्यक्ति विशेष, फर्म, निजी कंपनी या अन्य कारपोरेट निकाय के अधिकार में है, यदि व्यक्ति विशेष, निजी कंपनी या कारपोरेट निकाय ने इस पर अधिकार, पारिश्रमिक के तौर पर, वेतन, शुल्क, कमीशन, परिलब्धियां, किराया-मुक्त आवास, या अन्यत्र किसी भी तरह, इसे कंपनी से प्राप्त करने के फलस्वरूप किया है;

(ख) अभिव्यक्ति "एक-दूसरे के संबंध में लेन-देन" का तात्पर्य दो संबंधित पार्टियों के बीच किया गया कोई लेन-देन, जैसे कि वे असंबंधित थे, ताकि हित का कोई विवाद न हो।

कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 का नियम 15 (3)

(2) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के प्रथम परंतुक के प्रयोजनों के लिए, एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर -

(i) एक कंपनी जिसकी दस करोड़ रपए या उससे अधिक की प्रदत शेयर पूंजी है, किसी संबंधित पार्टी के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं करेगी; या

(ii) एक कंपनी कोई लेन-देन अनुबंधित नहीं करेगी, जहां लेन-देन या लेन-देनों को -

(क) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के खंडों (क) से (च) के संबंध में संविदाओं या व्यवस्थाओं के रूप में नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार अनुबंधित किया जाना है-

(i) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के क्रमशः खंड (क) और खंड (च) में यथा उल्लिखित वार्षिक टर्नओवर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वस्तुओं या सामग्री की सीधे या एजेंटों की नियुक्ति के द्वारा बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

(ii) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के क्रमशः खंड (क) और खंड (च) में यथा उल्लिखित निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक राशि की किसी प्रकार की संपत्ति को सीधे या एजेंटों की नियुक्ति के द्वारा बेचना या उनका अन्यत्र निपटान करना, अथवा खरीदना;

(iii) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के खंड (ग) में यथा उल्लिखित टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक राशि के लिए किसी प्रकार की संपत्ति का पट्टाकरण;

(iv) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के क्रमशः खंड (घ) और खंड (च) में यथा उल्लिखित निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक राशि के लिए किसी प्रकार की सेवाओं को सीधे या एजेंटों की नियुक्ति के द्वारा प्राप्त करना या प्रदान करना;

(ख) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के खंड (छ) में यथा उल्लिखित ढाई लाख रपए से अधिक के मासिक पारिश्रमिक पर कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान हेतु नियुक्ति; या

(ग) धारा **188** की उप-धारा **(1)** के खंड **(ज)** में यथा उल्लिखित निवल मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्नों के अंशदान की हामीदारी हेतु पारिश्रमिक।

स्पष्टीकरण- **(1)** उपरोक्त उप-नियमों में संदर्भित टर्नओवर या निवल मूल्य का निर्धारण पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर होगा।

परिशिष्ट-III

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

मैं.....(नाम).....(पदनाम), निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता को भली-भांति पढ़ने और समझने के बाद एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने 31 मार्च,…....को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान संहिता के उपबंधों का अनुपालन किया है और मेरे द्वारा इस संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

कर्मचारी संख्या.....

टेलीफोन नं.....

तारीख .....

स्थान .....

परिशिष्ट-IV

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता की पावती

मैंने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यापार आचार और नैतिकता संहिता को प्राप्त किया है और पढ़ लिया है। मैंने उक्त व्यापार आचार और नैतिकता संहिता में दिए गए मानकों और नीतियों को भली-भांति समझ लिया है और मैं यह भली भांति समझता/समझती हूं कि मेरे कार्य से संबंधित अन्य नीतियां और कानून भी विनिर्दिष्ट होंगे। मैं, निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए उक्त व्यापार आचार और नैतिकता संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं।

यदि उक्त व्यापार आचार और नैतिकता संहिता और सीपीएसई की किसी नीति या अपने कार्य पर लागू कानून और विनियामक आवश्यकता या अनुप्रयोग से संबंधित मैं कोई प्रश्न पूछना चाहूंगा/चाहूंगी, तो मैं जानता/जानती हूं कि मैं आरईसी के कंपनी सचिव से यह जानते हुए परामर्श कर सकता हूं कि मेरे प्रश्न या मेरी रिपोर्टें गोपनीय रखी जाएंगी।

इसके अलावा, मैं प्रति वर्ष 31 मार्च की समाप्ति से 30 दिन के अंदर कंपनी को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित प्रतिज्ञान देने का भी वचन देता/देती हूं।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....
कर्मचारी सं. .....
टेलीफोन नं.....
तारीख .....
स्थान .....

सेवा में,: कंपनी सचिव, आरईसी